

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

45 / 2013

12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

प्रहलाद पुत्र उद्दा जाति गुर्जर निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :- (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

अभिशांषा

दिनांक 17.01.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 421 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै०मु० नाला भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 03.06.1996 को रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा विपक्षी के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 12.12.1996 को जरिए नामान्तरकरण सं० 4064 से गैर खातेदारी दर्ज की गई। नकल जमाबंदी सम्वत 2066-2069 वाके ग्राम अम्बापुरा खसरा नम्बर 421 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रहलादराय पुत्र उद्दाराय कोम गुर्जर निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा की गैर खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी०वी०सिविल जनहित याचिका सं० 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरा गया नामान्तरकरण सं० 4064 को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। विपक्षी वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै०मु० नाला भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार नाला दर्ज थी, उक्त नाला भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना

बतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक



राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरा गया नामान्तकरण संख्या 4064 गैर खातेदारी निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 421 गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 03.06.1996 को 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि विपक्षी प्रहलादराय को आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में विपक्षी को दिनांक 12.12.1996 को जरिए नामान्तकरण सं0 4064 गैर खातेदारी अधिकार दे दिये गये। चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नाला दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी विपक्षी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 03.06.1996 को विवादित भूमि विपक्षी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि श्री प्रहलाद पुत्र उद्दा जाति गुर्जर निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा को प्रकरण संख्या 106/1996 दिनांक 03.06.1996 द्वारा खसरा नम्बर 421 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम अम्बापुरा मे किया गया आवण्टन तथा इस आदेश की पालना मे श्री प्रहलाद के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 4064 दिनांक 12.12.1996 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 421 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अम्बापुरा को पुनः गै0मु0 नाला भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अजमेर
दोब

